रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230090 CG-DL-E-01102021-230090

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] No. 568] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 8/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 693(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

- क. अनुसूची I में 2.5%,-
- (i) क्रमांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए";

5569 GI/2021 (1)

- (ii) क्रमांक 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा: -

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए
		बायो-डीजल";

- (iv) क्रमांक 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(232) पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा)";
- (vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्टो फिटमेंट किट";
- ख. अनुसूची II में 6%, -
- (i) क्रम संख्या 80क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल के अलावा)";
- (ii) क्रमांक 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा:
- (iv) क्रमांक 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"201क	84, 85 या 94	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के पुर्जे लिए भागों
		का अनुसरण उत्पादन: -
		(क) जैव गैस संयंत्र;
		(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण;
		(ग) सौर ऊर्जा जनरेटर;
		(घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर
		(डब्ल्यूओईजी);
		(ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट;
		(च) सौर लालटेन / सौर लैंप;
		(छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/प्लांट;
		(ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या
		पैनलों में बना है ।
		स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान आपूर्ति किया जाता है, एक
		आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य सामानों की आपूर्ति के साथ और सेवाएं, जिनमें से
		एक विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा है में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 38 की

प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [जी.एस.आर. 690(अ)], के लिए माल की आपूर्ति का मूल्य इस प्रविष्टि के उद्देश्यों को ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का शेष तीस
प्रतिशत प्रभारित उक्त कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";

- (v) क्रमांक 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) क्रमांक 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- ग. अनुसूची III में 9%, -
- (i) क्रमांक 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स पेस्टेड, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ, सूखे वजन पर गणना की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26lझ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26অ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਟ	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਂਡ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"101क	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";
-------	---

(iii) क्रमांक 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या
		सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के एक तरह के कागज या
		पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प- प्रभावित कागज; बैंकनोट; जाँच; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157র	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सिहत अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइनऔर फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्रकारी कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अलावा अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, स्व-चालित या गैर-स्वचालित (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ਫ਼	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, स्व-चालित नहीं; लगेज वैन, पोस्ट ऑफिस कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

- (vi) क्रम संख्या 447 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी लेखों के भाग (कैप और क्लिप सिहत), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ. अनुसूची IV में 14%, -
- (i) क्रमांक 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"12ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज ";
------	------	--

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.िन. 374(अ), दिनांक 2 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

#### No. 8/2021-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 693(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and subsection (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E)., dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I 2.5%, -
- (i) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";

- (ii) S. Nos. 138 to 148 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 186 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel":
		Speed Dieser,

- (iv) S. No. 187A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S. No. 234 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) in List 1, after item number 231 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(232) Pembrolizumab (Keytruda)";
- (vii) in List 3, after item number (B) (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled";
- (b) in Schedule II -6%, -
- (i) against S. No. 80A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
- "Bio-diesel (other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)";
- (ii) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. Nos. 127 to 132 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"201A	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power based devices; (c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG); (e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels.
		Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28 <sup>th</sup> June, 2017 [G.S.R. 690(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.";

- (v) S. Nos. 205A to 205H and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 232 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III -9%, -
- (i) after S. No. 26B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26E	2603	Copper ores and concentrates.

26F	2604	Nickel ores and concentrates.
26G	2605	Cobalt ores and concentrates.
26H	2606	Aluminium ores and concentrates.
26I	2607	Lead ores and concentrates.
26J	2608	Zinc ores and concentrates.
26K	2609	Tin ores and concentrates.
26L	2610	Chromium ores and concentrates.";

(ii) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"101A
-------

(iii) for S. No. 153A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely:  $\cdot$ 

"153A.	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard,
		cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar
		articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.";

(iv) after S. No. 157 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"157A.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.
157B.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips).
157C.	4908	Transfers (decalcomanias).
157D.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
157E.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
157F.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.";

(v) after S. No. 398 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.

398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.";

- (vi) against S. No. 447, in column (3), for the entry, the entry "Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609.", shall be substituted;
- (d) in Schedule IV -14%, -
- (i) after S. No. 12A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"12	В	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit
			Juice.";

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup>June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup>June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2021 – Central Tax (Rate), dated the 2<sup>nd</sup> June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 374(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 2021.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

## सं. 9/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 694(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-